फा.सं.-12011/04/2020-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001,

दिनांक : 01.06.2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय- राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए वर्ष 2020-2021 के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हेतु ।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रति वर्ष छः पुरस्कार (प्रत्येक क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' में दो पुरस्कार) प्रदान किए जाते हैं ।

2. हाल ही में कई राष्ट्रीयकृत बैंको के विलय को देखते हुए राजभाषा विभाग द्वारा अब बैंकों व वित्तीय संस्थानों का मूल्यांकन क्षेत्र-वार न करके अखिल भारतीय स्तर पर (राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हेतु) किया जाएगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के आधार पर बैंकों व वित्तीय संस्थानों को दो श्रेणियों में रखा जाएगा तथा निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे -

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों की संख्या	राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की संख्या
1- 800 कार्मिक	03
800 से अधिक कार्मिक	03

संदीप 01/06/20

(संदीप आर्य)

निदेशक (का.)

दूरभाष- 011-23438129

प्रतिः-

1. केंद्र सरकार के सभी संबंधित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के कार्यालय प्रमुख ।
2. राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रमुख ।
3. संयुक्त सचिव(वित्तीय सेवाएं विभाग), वित्त मंत्रालय, जीवन तारा बिल्डिंग, तीसरा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।
4. महाप्रबंधक (भारतीय रिजर्व बैंक), राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, सी-9, दूसरी मंजिल, मुंबई- 400051।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें ।